

611

2126




## माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल गवालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /12-13 अपील A-2136-PBRI

भरतलाल पिता तुलसीरामजी जाति जाट

निवासी ग्राम डेलनपुर तहसील व जिला रतलाम

अपीलान्ट



विरुद्ध

- 1—मोहम्मद हनीफ पिता फकीर मोहम्मद पटेल  
निवासी चिंगीपुरा रतलाम
- 2—धनश्याम पिता प्रहलाददासजी लश्करी  
निवासी 49, हाथी खाना रोड़, रतलाम
- 3—गोपालदास पिता गुरु आत्मारामजी  
निवासी बड़ा रामद्वारा पुरोहितजी का वास रतलाम
- 4—मध्यप्रदेश शासन

रेस्पांडेन्टगण

### अपील अंतर्गत धारा 44 (2) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

यह कि, अपीलान्ट अधिनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक-20/02/2013 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर अपील निम्न आधारों पर अदंर अवधि प्रस्तुत है :-

#### संक्षिप्त विवरण :-

यह कि, ग्राम डेलनपुर जिला रतलाम रिथत वादग्रस्त भूमि सर्वे नंबर 279/1, रकबा 0-480 हेक्टर, व सर्वे नंबर 281/1 रकबा 3-130 हेक्टर व सर्वे नंबर 355 रकबा 0-20 हेक्टर, जो राजस्वरूपजी रामस्नेही के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर उपरोक्त भूमि पर रेस्पांडेन्ट क्रमांक 3 गोपालदास ने बिना किसी आधार के राजस्वरूपजी रामस्नेही के स्वर्गवास के पश्चात् अपना नामांतरण बाले बाले करवा लिया जबकि गोपालदास राजस्वरूपजी रामस्नेही के न तो चेले रहे हैं और न ही उनका उनसे कभी कोई संबंध रहा है जबकि राजस्वरूप रामस्नेही ने अपने जीवनकाल में एक शिष्य गौतम रामस्नेही को रखा था तथा वहीं उनकी सेवा सुश्रुषा करता था, किंतु उसका नामांतरण गत स्व अभिलेख में नहीं लिया गया। रेस्पांडेन्ट क्रमांक 3 द्वारा उपरोक्त नूमि का उपरोक्त नूमि देखने वाले दिन 06/03/2013 के दूर देस्पांडेन्ट इन्हें 32

(20)

प्रकाशन R. 2136. P.B.R./13. जिला ... इत्तलाम .....

स्थान तथा दिनांक	कार्बोराही तथा आदेश	पक्षकारों द्वारा अधिकारियों आदि के हस्ताक्षर
२६.१२.१४	<p>ठाठेड़ू. ठाठिली-लोटी      वसुल उमा। ठाठेड़ू. ठाठिली के सिवेन      पाट उकामा और उस ने इसी छाती      पर उमाल चिना भागा ३५५० रुपये      खिकाई दी</p> <p>ग्राम पंचायत एवं बंसद</p> <p>क. प. उ.</p>	<p>२ २६.१२.१४</p> <p>खिकाई दी गई</p> <p>बंसद</p> <p>२६.११.२</p>

(3)